अध्याय-2

लेखापरीक्षा संरचना

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए धन, कार्यों और पदाधिकारियों के मामले में अधिकार दिया गया है और क्या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। तदनुसार, निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को तैयार किया गया था:

- क्या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को राज्य विधान में पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है।
- क्या राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को उचित रूप से तैयार की गई संस्थाओं/संस्थागत तंत्रों और उनके कार्यों के सृजन के माध्यम से अपने कार्यों/उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने का अधिकार दिया गया है।
- क्या बताए गए कार्यों की प्रभावशीलता को विकसित किया गया है।
- क्या शहरी स्थानीय निकायों को उन्हें सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए उचित संसाधनों सहित पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच का अधिकार दिया गया है।

2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992;
- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994;
- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973;
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977;
- गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण एक्ट, 2017;
- फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण एक्ट, 2018;
- पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963;
- हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन अधिनियम, 1975;
- नगर लेखा संहिता, 1930;
- केंद्रीय/राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट;

- भारत सरकार के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट; तथा
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं निर्देश।

2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक की अवधि को शामिल करने वाली निष्पादन लेखापरीक्षा सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक दो चरणों में की गई थी। चरण-I में राज्य सरकार और पैरास्टेटल्स द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा शामिल थी और चरण-II में चयनित पांच कार्यों, अर्थात (i) जल आपूर्ति, (ii) जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, (iii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, (iv) संपत्ति कर और (v) जल कर/प्रभार, के संबंध में सभी स्तरों पर 15 शहरी स्थानीय निकायों की नमूना-जांच शामिल थी। नमूना-जांच के लिए चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची ***परिशिष्ट 2.1*** में दर्शाई गई है।

11 नवंबर 2020 को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। लेखापरीक्षा पद्धति में संबंधित अधिनियमों, नियमों, उप-नियमों और विनियमों के प्रावधानों का विश्लेषण, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय और चयनित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच शामिल थी। प्रश्नावली, अभिलेखों की जांच, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और उत्तरों के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के साथ दिनांक 2 नवंबर 2021 को एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई और कांफ्रेंस के विचार-विमर्श को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.4 लेखापरीक्षा परिणामों की व्यवस्था

कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण की स्थिति से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निम्नलिखित अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है:

अध्याय 3 - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

अध्याय 4 - शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए कार्यों और संस्थागत तंत्र का हस्तांतरण

अध्याय 5 - शहरी स्थानीय निकायों का मानव संसाधन

अध्याय 6 - शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

अध्याय 7 - चयनित क्षेत्रों के निर्वहन में हस्तांतरण

अध्याय 8 - निष्कर्ष